



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 98-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2020
(22 आषाढ़, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2020, दिनांक 13 जुलाई, 2020— हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2020.	129—130
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 36/कै०अ०2/1899/धारा 9/2020, दिनांक 13 जुलाई 2020— स्टाम्प शुल्क दो हजार रुपए से घटाकर एक सौ रुपए करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	131—132
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग—III**हरियाणा सरकार****कार्मिक विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 13 जुलाई, 2020

संख्या सांका०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2020.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में, नियम 11 में, उपनियम (1) में, मद (I) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(I) प्रारम्भिक परीक्षा :

प्रारम्भिक परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे : कुल 200 अंक
(वस्तुनिष्ठ प्रकार/बहुचयन)

प्रश्न पत्र I : सामान्य अध्ययन : 100 अंक
(वर्तमान तथा अधिसूचित पाठ्यक्रमानुसार)

प्रश्न पत्र II : सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा : 100 अंक

- परिज्ञान
- संसूचना कौशल सहित अन्तरवैयक्तिक कौशल
- तार्किक विवेचन तथा विश्लेषणात्मक योग्यता
- निर्णय योग्यता तथा समस्या समाधान
- सामान्य मानसिक योग्यता
- आधारभूत संख्यात्मक (श्रेणी x स्तर तक संख्या तथा उसके वृ-तान्त, मात्रा का क्रम इत्यादि), डाटा व्याख्या (श्रेणी x स्तर तक चार्ट, ग्राफ, तालिका, पर्याप्त डाटा इत्यादि)

टिप्पण :

- दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प) प्रश्नों के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र की अवधि दो घण्टे होगी।
- दोनों प्रश्न-पत्र द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार होंगे।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई (0.25) अंक की कटौती होगी।
- प्रश्न-पत्र II अर्थात् सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा, अर्हक पेपर होगा और न्यूनतम अर्हक अंक 33 प्रतिशत निर्धारित हैं।
- प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम केवल प्रश्न-पत्र 1 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर होगा बशर्ते कि उम्मीदवार ने सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (प्रश्न-पत्र II) में 33 प्रतिशत अंक में प्राप्त किये हों।

केशनी आनंद अरोड़ा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**PERSONNEL DEPARTMENT****Notification**

The 13th July, 2020

No. G.S.R. 5/Const./Art. 309/2020.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Civil Service (Executive Branch) Amendment Rules, 2020.
2. In the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, in rule 11, in sub-rule (1) for item (I), the following item shall be substituted, namely:-

“(I) Preliminary Examination:

It shall comprise of two papers
(Objective type/Multiple choice)

(Total 200 marks)

Paper – I : General Studies : 100 marks
(As per existing and notified Syllabus)

Paper – II : Civil Services Aptitude Test : 100 marks

- Comprehension
- Interpersonal skills including communication skills
- Logical reasoning and analytical ability
- Decision making and problem solving
- General mental ability
- Basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitude, etc.-Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.- Class X-level).

Note:

- (i) Both the Question papers shall be of objective type (multiple choice) questions and each paper shall be of two hours duration.
- (ii) Both the Question papers shall be set bilingual i.e. in English and in Hindi.
- (iii) For each wrong answer, one fourth (0.25) mark shall be deducted.
- (iv) The Paper-II i.e. Civil Services Aptitude Test shall be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%.
- (v) The result of preliminary examination shall be based on the marks obtained in Paper-I only, provided that the candidate has scored 33% marks in the Civil Services Aptitude Test (Paper-II).”

KESHNI ANAND ARORA,
Chief Secretary to Government, Haryana.